न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2024(रसद) (GCMS 2024/336)	27.11.2024	08.10.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

बद्रीलाल पिता हरदेव बलाई, निवासी गंदेरी कांकरोली घाटी, पुलिस थाना काछोला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.11.2022 को उप–निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार सीटी कोतवाली चित्तौड़गढ़ पर एक पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 14 GH 1608** जिसमें यूरिया उर्वरक का लाईसेंस नहीं होना, क्रय विक्रय के वाउचर के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना एवं इसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई उचित संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से कुल 80 बैग यूरिया (नीम कोटेड) व 33 किट (उत्तम संपूर्ण) की सुपुर्दगी थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु दी गई। विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न पर्चा मौका एवं सूची अनुसार अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त कृत्य किया जाकर उर्वरक भण्डारण/कारोबार में उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/2022 दिनांक 19.11.2022 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 5 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के दर्ज करवाई गई है, एवं अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई कि परिशिष्ट–5 अनुसार जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 26.03.2025 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 18.11.2022 को उप–निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार सीटी कोतवाली चित्तौड़गढ़ पर जो यूरिया उर्वरक का लाईसेंस नहीं होना, क्रय विक्रय के वाउचर के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना एवं इसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई उचित संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से कुल 80 बैग यूरिया (नीम कोटेड) व 33 किट (उत्तम संपूर्ण) की सुपुर्दगी थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु दी गई। विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न पर्चा मौका एवं सूची अनुसार अनुसार है। पूछताछ में विपक्षी द्वारा बताया गया कि उक्त यूरिया बागवान खाद बीज भण्डार भोई खेडा चित्तौड़गढ़ से लाना बताया। बागवान खाद बीजी भण्डार का निरीक्षण करने पर उर्वरक अनुज्ञा–पत्र 10425 दिनांक 13.12.2026 तक वैध पाया गया। बीज भण्डार के मालिक द्वारा 8–10 किसानों के आधार कार्ड लगाकर यूरिया उर्वरक लेना बताया गया। किन्तु मौके पर विपक्षी द्वारा कोई बिल और स्लीप प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे विपक्षी से नीम कोटेड यूरिया उर्वरक व उत्तम संपूर्ण को जब्त कर यूरिया का नमूना आहरण किया गया। आहरित नमूना राजकीय प्रयोगशाला श्रीगंगानगर को विश्लेषण हेतु भिजवाया गया। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला श्रीगंगानगर के विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 2023 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार आहरित नमूना मानक पाया गया। विपक्षी द्वारा उक्त कृत्य किया जाकर उर्वरक भण्डारण/कारोबार में उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक व अन्य सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस समाप्त की गई।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा सामग्री विपक्षी से से जब्त नहीं की गई और विपक्षी का जब्तशुदा सामग्री से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन/परीक्षण/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर विपक्षी के कब्जे में यूरिया अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त यूरिया के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा न्यायालय को समक्ष किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है, जिससे आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं होना पाया गया है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित पाया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री के संबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/2022 दिनांक 19.11.2022 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज की जाकर वर्तमान में समक्ष न्यायालय में जैरकार है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा यूरिया का अवैध भण्डारण कर उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा कुल 80 बैग यूरिया (नीम कोटेड) व 33 किट (उत्तम संपूर्ण) राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/2022 दिनांक 19.11.2022 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 5 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में जब्तशुदा कुल 80 बैग यूरिया (नीम कोटेड) व 33 किट (उत्तम संपूर्ण) राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। उप–निदेशक कृषि (विस्तार) चित्तौड़गढ़ जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ (राज.) उक्त अभिग्रहित कुल 80 बैग यूरिया (नीम कोटेड) व 33 किट (उत्तम संपूर्ण) थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति उप–निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ को मय अनुसंधान पत्रावली के भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official